DELHI VIDHAN SABHA

दिल्ली विधान सभा

REPORT OF THE SELECT COMMITTEE

ON

DELHI OFFICIAL LANGUAGE BILL, 1995

(PRESENTED ON 02.01.1998)

दिल्ली राजभाषा विधेयक, 1995

पर गठित

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

(2·1·1998 को प्रस्तुत)

DELHI VIDHAN SABHA SACHIVALAYA

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

दिल्ली विधान सभा

दिल्ली राजभाषा विधेयक, 1995 पर गठित

प्रवर समिति का

प्र ति वे द न

समिति का गठन

1.	श्री आलोक कुमार	सभापति
2.	श्री साहिब सिंह (विधेयक के प्रभारी मंत्री)	सदस्य
3.	श्री नन्द किशोर गर्ग	सदस्य
4.	श्री बोध राज	सदस्य
5.	श्री दर्शन कुमार बहल	सदस्य
6.	श्री परवेज हाशमी	सदस्य
7.	श्री शीश पाल	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री पी.एन. गुप्ता	सचिव
2.	श्री एस.के. शर्मा	विशेष सचिव
3.	श्री एस.के. श्रीवास्तव	समिति अधिकारी
4.	श्री के.एल. कोहली	समिति अधिकारी

प्रतिवेदन

मैं, आलोक कुमार, सभापति, दिल्ली राजभाषा विधेयक, 1995 पर गठित प्रवर समिति की ओरसे एतद्द्वारा प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

दिनांक 19·12·95 को सम्पन्न विधान सभा की बैठक में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिल्ली राजभाषा विधेयक, 1995 पुरःस्थापित किया गया था एवं दिनांक 21·3·1996 को सम्पन्न बैठक में इस विधेयक पर चर्चा हुई । विधेयक पर चर्चा के दौरान सर्वश्री आलोक कुमार, गौरी शंकर भारद्वाज, जग प्रवेश चन्द्र एवं अजय माकन ने विधेयक पर अपने विभिन्न संशोधन प्रस्तुत किये । विस्तृत चर्चा के उपरांत सदन ने सर्व-सम्मति से विधेयक को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित सदन की सात सदस्यीय प्रवर समिति को सौंपने का निर्णय लिया ।

तदुपरांत, 10·7·1996 को माननीय अध्यक्ष महोदय ने 7 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया :-

दिनांक 10·7·1996 को ही इस समिति के विधिवत् गठन के बारे में दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई थी ।

प्रवर समिति की कुल मिलाकर 7 बैठकें आयोजित की गईं ।

प्रस्तावित राजभाषा विधेयक के प्रचार एवं प्रसार एवं आम जनता व गणमान्य व्यक्तियों/संस्थाओं से राय/सुझाव जानने एवं आमंत्रित करने के उद्देश्य से सचिवालय द्वारा प्रमुख हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू एवं पंजाबी समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कराई गई ।

समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित किए जाने के बाद आम जनता, संस्थाओं व गणमान्य व्यक्तियों से राय/सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें प्रमुखतया सर्वश्री डॉ0 सूर्यकान्त बाली, डॉ0 वेद प्रताप वैदिक, गोपाल प्रसाद व्यास, रत्नाकर पाण्डेय, डॉ0 लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, हरि बाबू कंसल, डॉ0 जगन्नाथ, सरदारी लाल बजाज, श्याम लाल, विजय भुषण गुप्ता, डॉ0 कृष्ण लाल, डॉ0 एस· नारायण अय्यर, श्री आनन्द स्वरूप गर्ग, डॉ0 धर्मवीर इत्यादि से सुझाव प्राप्त हुए, जिनको समिति के समक्ष रखा गया और समिति ने इन सुझावों पर गहन विचार-विमर्श किया ।

····2·

समय समय पर आयोजित समिति की बैठकों में गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया और उन्होंने राजभाषा विधेयक के बारे में अपनी राय प्रकट की ।

श्री जग प्रवेश चन्द्र, विधायक, जिन्होंने कि सदन में चर्चा के समय विधेयक के संबंध में अपने संशोधन प्रस्तुत किए थे, के अलावा श्री सरदारी लाल बजाज, श्री श्याम लाल, श्री आनन्द स्वरूप गर्ग, डॉ0 धर्मवीर, डॉ0 विजय भूषण गुप्ता, डॉ0 कृष्ण लाल, श्री हरि बाबू कंसल, डॉ0 महेश चन्द गुप्त, श्री नन्द किशोर भट्ट, डॉ0 एस· नारायण अय्यर, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय समिति के समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित हुए और उन्होंने राजभाषा विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किये ।

समिति ने निम्नलिखित प्रावधानों को विधेयक में जोड़ने के प्रति अपनी सहमति व्यक्त की :-

1· खण्ड-4 के बाद निम्नलिखित 4 (क) जोड़ा जाये :-

सरकार विशेष रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये पंजाबी भाषा का प्रयोग करेगी :-

(क) प्रार्थना-पत्रों और ज्ञापनों की प्राप्ति एवं उनका उत्तर ।

(ख) सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा पंजाबी में लिखित दस्तावेजों की स्वीकृति

(ग) सरकार द्वारा तैयार किये गये महत्वपूर्ण विवरणों एवं अधिसूचनाओं का प्रकाशन

(घ) सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण अनुदेश, आदेश, लोक महत्व के प्रतिवेदनों को जारी करना ।

(ङ·) महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापन पंजाबी समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित करना

(च) महत्वपूर्ण संकेतों एवं नाम-पट्टों की स्थापना ।

तथापि, विधेयक में उपर्युक्त प्रावधानों को जोड़े जाने के कारण विधेयक का स्वरूप पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया है । क्योंकि इन प्रावधानों को क्रियान्वित करने की स्थिति में सरकार को अपने विभिन्न विभागों में पंजाबी भाषा को सही रूप में लागू करने की दृष्टि से आवश्यक व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी ।

इस तरह की व्यवस्था करने पर सरकार को राजधानी की संचित निधि से व्यय करना पड़ सकता है, जिसका अर्थ है कि इस विधेयक में अब वित्तीय आशय निहित हो गया है ।

इस संबंध में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा-22(3) दृष्टव्य है :-

22.(3) "जिस विधेयक को अधिनियमित और प्रवर्तित किये जाने पर राजधानी की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा, वह विधेयक विधान सभा द्वारा तब तक पारित नहीं किया जायेगा, जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने करने के लिये उस सभा से उप-राज्यपाल ने सिफारिश नहीं की है ।"

श्री अजय माकन, विधायक से 18 दिसम्बर, 1996 को समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिये अनुरोध किया गया था, किन्तु वे उपस्थित नहीं हो सके ।

दिल्ली राजभाषा जागृति मंच के सदस्यों ने सुझाव दिया था कि विधेयक के "उद्देश्यों व कारणों के विवरण" में पंजाबी को "ओल्डेस्ट लैंग्वेज एंड कल्चर्स" लिखा गया है, उसमें संशोधन किया जाना चाहिये, इस पर समिति द्वारा निर्णय किया गया कि "ओल्डेस्ट" की जगह "ओल्ड" या "प्राचीन" शब्द का प्रयोग किया जाये तथा जहां

यह लिखा गया है कि अधिकांश लोग दिल्ली में पंजाबी बोलते हैं उसकी जगह "एसाइजेबल नंबर ऑफ पीपल स्पीक पंजाबी इन दिल्ली" लिखा जा सकता है. इसी संदर्भ में यह भी निर्णय लिया कि विधेयक में "शासन" की जगह "सरकार" एवं "गवर्नमेंट" शब्द का प्रयोग किया जाएगा.

मूलतः लगभग सभी साक्षियों का एक ही मत रहा कि दिल्ली राजभाषा विधेयक, 1995 की धारा 3,6 एवं 7 तथा "उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण" में आवश्यकतानुसार संशोधन किए जाएं.

धारा 3 में निम्न प्रकार संशोधन करने का सुझाव दिया गया :

वर्तमान धारा-3 : "संविधान या अधिनियम द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित ऐसे प्रयोजनों तथा ऐसे मामले जो अधिसूचना द्वारा समय-समय पर शासन द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के सिवाय सभी प्रयोजनों के लिए दिल्ली की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी सरकारी राजपत्र में अधिसूचना से शासन द्वारा नियत तिथि से होगी.

संशोधन

धारा -3 : "संविधान द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित प्रयोजनों के सिवाय सभी प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के आरम्भ होने की तिथि से दिल्ली की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी."

समिति उपरोक्त संशोधन से सहमत नहीं थी.

इसी तरह धारा 6(2) में भी यह संशोधन करने की सिफारिश की गई कि - "जो भी विधेयक आदि विधान सभा में प्रस्तुत किए जाएं, उनके मूल प्राधिकृत पाठ हिन्दी में ही माने जाएं तथा उसके अंग्रेजी या पंजाबी भाषा में किए गए अनुवाद को इन भाषाओं का प्राधिकृत पाठ माना जाए."

इसी तरह "कारणों एवं उद्देश्यों के विवरण" में "इस समय दिल्ली में कोई राजभाषा अधिनियम नहीं है, न ही इस संबंध में अभी तक राष्ट्रपति का कोई आदेश ही जारी हुआ है" - शब्दों को हटाने की सिफारिश की गई है.

यह भी सुझाव दिया गया कि प्रभावशाली ढंग से हिन्दी को दिल्ली की राजभाषा बनाने के उद्देश्य से दिल्ली में निजी क्षेत्र में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/दुकानों आदि के साइन बोर्ड भी हिन्दी में लगाने का प्रावधान किया जाना चाहिए. साइन

बोर्ड पर ऊपर हिन्दी में लिखा जाए तथा उसके नीचे दूसरी भाषा का प्रयोग किया जाए. इसका उल्लंघन करने वाले पर कम से कम 500/- रु० व अधिक से अधिक 5000/- रु० तक का जुर्माना किया जाए. समिति इस संशोधन की भावना से सहमत है.

इसको क्रियान्वित करने के उद्देश्य से तमिलनाडू, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश की सरकारों, जहां कि इस तरह का प्रावधान लागू है, को इस संबंध में अपनाए जाने वाले नियमों आदि की प्रतियां मंगाने के लिए पत्र लिख दिए गए हैं.

गम्भीर विचार विमर्श के बाद समिति का निष्कर्ष था कि वांछित सूचना प्राप्त होने में चूंकि विलम्ब भी हो सकता है इसलिए विधेयक को और आगे लंबित न रख कर इसे जल्द से जल्द पारित किया जाना चाहिए. समिति नेआम सहमति से इस मामले को किसी उपयुक्त समय पर आवश्यक संशोधनों द्वारा अपनायेजाने हेतु छोड़ दिया.

समिति ने दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के काम-काज की भाषा भी हिन्दी हो, इस संबंध में मिले सुझावों पर भी विचार-विमर्श किया और उसका मत था कि चूंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाषा से संबंधित **दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल साईड) नियम, 1967** के नाम से नियम बनाये हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक "1" पर देखा जा सकता है. इसलिये इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय को भाषा संबंधी नीति बनाने और उसे क्रियान्वित करने की दृष्टि से अलग से अनुरोध करना वांछनीय होगा. अतएव, समिति सिफारिश करती है कि -

1. समिति सिफारिश करती है कि अन्य सभी प्रयोजनों हेतु हिन्दी को एक वैकल्पिक भाषा बनाने की दृष्टि से उच्च न्यायालय से नियमों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया जाये.

2. समिति ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि दिल्ली के अधीनस्थ न्यायालयों में दीवानी मामलों से संबंधित लगभग सारा कार्य और फौजदारी मामलों से संबंधित कार्यों के एक काफी बड़े हिस्से का कार्य अंग्रेजी भाषा में किया जाता है.

समिति सिफारिश करती है कि दिल्ली के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में हिन्दी भाषा के प्रयोग को सुविधाजनक बनाये जाने हेतु कदम उठाये जाने चाहिए.

दिल्ली राजभाषा विधेयक, 1995 के संबंध में समिति समय-समय पर समिति के समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्य देने एवं सुझाव देने के लिये सभी गणमान्य एवं प्रबुद्ध व्यक्तियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है.

समिति की बैठकों का आयोजन करने व विधेयक के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करने तथा पूर्ण विवरण एवं यह प्रतिवेदन तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान देने में सचिवालय के अधिकारियों - श्री पी.एन. गुप्ता, सचिव, श्री सुदर्शन कुमार शर्मा, विशेष सचिव एवं श्री सुरेश कुमार, समिति अधिकारी व सचिवालय के अन्य सभी कर्मचारियों, जो इस समिति से जुड़े रहे हैं, के कार्यों की भी समिति हार्दिक प्रशंसा करती हैं.

(आलोक कुमार)
सभापति
दिल्ली राजभाषा विधेयक, 1995
पर गठित प्रवर समिति

दिल्ली.
01 जनवरी, 1998

RULE I - Chapter III Rule 1 of the said RULES requires that every plaint, Written Statement, Application, Pettion and the like presented to the court shall be in English.

Rule 5 reads as under:-

RULE 5 - No document in a language other than English intended to be used in any proceeding before the court shall be received by the Registry unless it is accompained by a translation in English

i) agreed to by both the parties; or

ii) certified to be a true translation

a) by a counsel engaged in the case; or

b) by any other counsel, whether engaged in the case or not provided a counsel engaged in the case authenticates such certificate; or

iii) prepared by an official translatore of the court on payment of the prescribed charges; or

iv) prepared by a translatore specifically appointed or approved for the purpose by the Registrar. on payment of such charges as he may order.

2) A suit or other proceeding will not be set down for hearing until and unless all parties confirm that all the documents filed on which they intend to rely are in English or have been translated into English.

- SIMILARLY, the Rules framed for the presentation reception, appeal, petition and application for the Review & Revision require that-

"Every Memorandum of appeal and every application, Written Statement, Affidavit Annexures to petition Etc. shall be the English language."

1998 का विधेयक संख्या .....

दिल्ली राजभाषा विधेयक, 1998

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के शासकीय प्रयोजनों एवं अन्य विषयों के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रथम भाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिन्दी और द्वितीय भाषा के रूप में गुरमुखी लिपि में पंजाबी स्वीकृत कराने के लिए एक विधेयक

यह भारतीय गणतन्त्र के 50वें वर्ष में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा द्वारा निम्न प्रकार से अधिनियमित किया जाए:-

संक्षिप्त शीर्षक विस्तार एवं प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम को दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 1998 कहा जाए ।

(2) यह सम्पूर्ण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में विस्तारित होगा।

(3) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत तिथि को प्रभावी होगा ।

परिभाषाएं

2. जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इन नियमों में-

(क) "अधिनियम" का अर्थ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1991 (1992 की संख्या 1) है ।

(ख) "दिल्ली" का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है ।

(ग) "सरकार" का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से है।

(घ) "विधान सभा" का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा है ।

दिल्ली की राजभाषा हिन्दी

3 संविधान या अधिनियम द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित ऐसे प्रयोजनों, तथा ऐसे मामले जो अधिसूचना द्वारा समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के सिवाय सभी प्रयोजनों के लिए दिल्ली की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी सरकारी राजपत्र में अधिसूचना से सरकार द्वारा नियत तिथि से होगी ।

दिल्ली की दितीय भाषा पंजाबी

4. (1) समय समय पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित प्रयोजनों के लिए दिल्ली की दितीय भाषा गुरूमुखी लिपि में पंजाबी होगी ।

(2) सरकार विशेष रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए पंजाबी भाषा का प्रयोग करेगी:-

(क) प्रार्थना पत्रों और ज्ञापनों की प्राप्ति एवं उनका उत्तर

(ख) विभिन्न विभागों द्वारा पंजाबी में लिखित दस्तावेजों की स्वीकृति

(ग) महत्वपूर्ण सरकारी विवरणों एवं अधिसूचनाओं का प्रकाशन

(घ) सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण अनुदेश, आदेश लोक महत्व के प्रतिवेदनों को जारी करना

(ड.) महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापन पंजाबी समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करना

(च) महत्वपूर्ण संकेत एवं नाम पट्टों की स्थापना।

अंकों का रूप

5. दिल्ली के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का हिन्दी रूप एवं अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।

विधेयकों, अधिनियमों, आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा

6. विधान सभा में पुरःस्थापित समस्त विधेयकोंएवं पारित अधिनियमों में तथा धारा-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत विधान सभा द्वारा बनाए गए किसी कानून के अन्तर्गत जारी समस्त आदेशों, नियमों-विनियमों और उपविधियों में हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा ।

परन्तु, फिर भी, उपराज्यपाल के प्राधिकार के अन्तर्गत शासकीय राजपत्र में प्रकाशित उपरोक्त का अंग्रेजी अनुवाद अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ माना जाएगा ।

नियम बनाने की शक्ति

7 (1) इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचनाा द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त शक्ति पर सामान्यतः प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम -

(क) विधेयकों, अधिनियमों, आदेशों, नियमों, उपविधियों, इत्यादि के हिन्दी भाषा के प्राधिकृत पाठ का अंग्रेजी एवं पंजाबी भाषाओं में अनुवाद की विधि निर्धारित कर सकेंगे ।

(ख) ऐसे अन्य विषयों से संबंधित जो अपेक्षित होंगे या निर्धारित किये जा सकेंगे, नियम बनाने की व्यवस्था कर सकेंगे ।

(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गए प्रत्येक नियम के बनने के बाद इसे यथाशीघ्र विधान सभा पटल के समकक्ष कुल तीस दिन के सत्र काल में रखा जाएगा । उक्त अवधि एक सत्र की है या दो सत्रों की हो या इससे अधिक उत्तरवर्ती सत्रों को मिलाकर हो और यदि आगामी सत्र या पूर्वोक्त उत्तरवर्ती सत्रों से तुरन्त पहले सत्र समाप्त होने से पहले सदन नियम में किसी प्रकार का संशोधन करने के लिए सहमत है या सदन सहमत है कि नियम

नहीं बनाया जाना चाहिए, तो इसके बाद नियम केवल ऐसे अशोधित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, जैसे भी स्थिति हो, तथापित ऐसा अशोधन या निष्प्रभावन उक्त नियम के अन्तर्गत पहले किये गये की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव के रहित होगा ।

कारणों और उद्देश्यों का विवरण

संविधान (69वां) संशोधन अधिनियम तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम के अधिनियमन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को अपनी विधान सभा प्राप्त हुई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) में उल्लेख है कि विधान सभा विधि द्वारा राजधानी में प्रयोग किये जाने के लिए एक या अधिक भाषा या हिन्दी को राजभाषा या राजधानी के सभी या किन्हीं सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाए । औपचारिक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव किया गया है जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 34 के अधीन निर्धारित है । इसके अतिरिक्त दिल्ली में काफी संख्या में लोग पंजाबी बोलते हैं । पंजाबी देश की पुरानी भाषाओं में से है जिसका जन्म आठवीं/नवीं शताब्दी में हुआ। ये लोग काफी समय से पंजाबी को दूसरी राजभाषा के रूप में स्वीकार करने की मांग कर रहे हैं । यद्यपि दिल्ली सरकार ने भाषा विभाग में पंजाबी कक्ष स्थापित करके तथा स्वायत्त निकाय के रूप में पंजाबी अकादमी स्थापित करके पंजाबी भाषा को बढ़ाने उसके प्रचार और विकास के लिए अनेक उपाय किये हैं फिर भी पंजाबी को दूसरी राजभाषा के रूप में घोषित किये जाने की उनकी मांग अभी पूरी की जानी है ।

इस विधेयक में उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया ।

(साहिब सिंह)
मुख्यमंत्री

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

REPORT

of the

Select Committee on

The Delhi Official Language Bill,

COMPOSITION OF COMMITTEE

1.	Shri Alok Kumar	Chairman
2.	Shri Sahib Singh Minister incharge of the Bill	Member
3.	Shri Nand Kishore Garg	Member
4.	Shri Bodh Raj	Member
5.	Shri Darshan Kumar Behl	Member
6.	Shri Parvez Hashmi	Member
7.	Shri Shish Pal	Member

SECRETARIAT

1.	Shri P.N. Gupta	Secretary
2.	Shri Sudarshan Kumar Sharma	Spl. Secretary
3.	Shri S.K. Srivastava	Committee Officer
4.	Shri K.L. Kohli	Committee Officer

REPORT

I, Alok Kumar, having been authorised to present the report of the Select Committee constituted on the Delhi Official Language Bill, 1995 hereby present this report on behalf of the Select Committee.

The Delhi Official Language Bill, 1995 was introduced in the Legislative Assembly during its sitting held on 19-12-1995 by the Hon'ble Chief Minister and the Bill was discussed in the sitting of the Assembly held on 21-03-1996. During the course of discussion, S/Shri Alok Kumar, Gauri Shankar Bhardwaj, Jag Parvesh Chander and Ajay Makan moved their amendments to the Bill. After the discussions the House decided to refer the Bill to a 7 member Select Committee to be nominated by the Hon'ble Speaker.

Thereafter Hon'ble Speaker constituted a 7 member Select Committee.

A notification regarding duly constituted Select Committee was published in the Delhi Gazette in 10-07-1996.

In all the Select Committee held 7 meetings.

With a view to elicit and invite opinion/suggestions and views from distinguished persons/organisations, a public notice was published by the Secretariat in major Hindi, English, Urdu and Pubjabi newspapers.

Subsequent to the publication of public notice in the newspaper the Secretariat received suggestions/opiniors and views from public/ organisations and other distinguished persons including S/Shri Dr Surya Kant Bali, Dr Ved Pratap Vedic, Gopal Prasad Vyas, Ratnakar Pandey, Dr Lakshmi Naryanan Pandey, Hari Babu Kansal, Dr Jagan Nath, Sardari Lal Bajaj, Shyam Lal, Vijay Bhushan Gupta, Dr. Krishan

Lal, Dr S Narayanan Aiyyar, Anand Swaroop Garg, Dr Dharmvir etc. These suggestions/views were placed before the Committee for its consideration and the Committee duly considered them.

Distinguished personalities were invited in the meetings of the Committee from time to time who expressed their views with regard to the Bill in question.

Besides Shri Jag Parvesh Chandra, M.L.A. who moved his amendment to the Bill during the course of discussion in the House S/Shri Sardari Lal Bajaj, Shyam Lal, Anand Swoorup Garg, Dr. Dharmvir, Dr. Vijay Bhushan Gupta, Dr. Krishan Lal, Hari Babu Kansal, Dr. Mahesh Chand Gupta, Nand Kishore Bhatt, Dr. S Naryanan Aiyyar, Head of Deptt. of Hindi, Delhi University made their presence before the Committee for evidence and expressed their views on various aspects of the Delhi Official Language Bill.

After having pondered and giving serious thought to various aspects of the Bill and the views expressed by different organisations as well as distinguished persons, the Committee recommended to add the following clauses in the Bill :

1. Following 4(a) be added after Clause 4 :

In particular the Government shall use the Punjabi Language for the following purposes :-

(a) Receipt and reply of Applications and Memorandums.

(b) Acceptance of written documents in Punjabi by different government offices.

(c) Publication of important statements and notifications made by the Government.

(d) Release of all important government instructions, orders, reports of public importance.

(e) Publication of important government advertisements in Punjabi newspapers.

(f) Installation of important indications and signboards.

The acceptance by the Committee of the aforesaid amendments has changed the complexion of the Bill. Now, the draft Bill has acquired financial implications in the sense that the Government will now have to provide necessary infrastructure in its various offices for implementing the provisions in letter and spirit. And this would entail incurring of substantial expenditure from the Consolidated Fund of National Capital Territory of Delhi on a regular basis.

In this regard attention is invited to Section 22(3) of the N.C.T. Act, 1991 which reads as under :

> "A Bill which if enacted and brought into operation would involve expenditure from the Consolidated Fund of the Capital, shall not be passed by the Legislative Assembly unless the Lt. Governor has recommended to that Assembly the consideration of the Bill".

Shri Ajay Makan, M.L.A. was requested to appear before the Committee on 18th December, 1996, but he could not attend the same.

On being suggested by the Members of the Delhi Raj Bhasha Jagriti Manch that in the "Statement of Objects and Reasons" where Punjabi has been described as oldest language and cultures some other suitable word should have been substituted. The Committee decided to substitute "oldest" by the word "old" in English and "PRACHIN" in Hindi version of the Bill. The Committee also recommended that in the Statement of Objects and Reasons where the words "substantial number of people" have been written, that should be substituted by the words "sizeable number of people". Likewise, the Committee also recommended to substitute the word "sashan" by the word "sarkar" in Hindi version of the Bill.

In nutshell almost all the witnesses who appeared before the Select Committee opined that Section 3, 6 and 7 of the Bills as well as Statement of Objects and Reasons should be modified keeping in view the recommendations of the Committee.

Amendment

Section 3 - "Hindi in Devanagri script shall, with effect from the date of commencement of the Act be the Official Language of Delhi for all purposes except such purposes as are specifically excluded by the Constitution".

The Committee did not accept the above suggestion.

Simiarly, it was also suggested that Section 6(2) be amended to read as follows :

"The Bills etc. which are introduced in the House, Hindi deemed to be the original text of the same and a translation of the same in English or Punjabi be deemed to be the authoritative text of these languages."

Similarly, a suggestion was also made to delete the words "At present there is no Official Act of Delhi nor any Presidential Order seems to have been issued so far in this regard" from the Statement of Objects and Reasons annexed to the Bill. Suggestions to the effect were also made that with a view to make Hindi Official Language of Delhi provision for installation of signboards etc. on commercial establishments/shops in private sector should also be made in the Bill. Hindi should be used first in such signboards and other languages should be used below Hindi language. The fine upto a minimum of Rs. 500/- and maximum of Rs. 5,000/- should be imposed on the persons who are found violating these provisions. The Committee also endorsed this view.

With a view to implementing this provision letters requesting to send the copies of the rules and regulations etc. in this regard have been sent to Assembly Secretariats of Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh.

After serious deliberations the Committee came to the conclusion that keeping in view the possible delay in receiving the desired information from various States the official language Bill should not be further kept pending to await this information and should be passed at the earliest. While geneally agreeing with the approach of the suggestion the Committee left the matter open to be incorporated by necessary amendments at a future appropriate time.

The Committee considered and deliberated over the issue pertaining to the use of Hindi in Delhi High Court and subordinate Courts and it opined that since the Delhi High Court itself has framed rules relating to use of language known as "Delhi High Court (Original Side) Rules, 1967" which may be seen at Annexure "A", it would, therefore, be desirable to request the Delhi High Court to frame its language policy and implement the same. Therefore the Committee recommends:

(1) that with a view to making Hindi an alternative language, the Delhi High Court be requested to reconsider the rules framed by it.

(b) the Committee expresses its concern that almost all the work relating to civil matters and substantial work relating to criminal matters is being disposed of in the subordinate Courts of Delhi only in English.

The Committee recommends that necessary steps should be taken to make the use of Hindi Language in all the subordinate Courts of Delhi.

The Committee expresses its gratitude to all the distinguished and intellectual members who made it convenient to appear before the Committee and expressed their considered opinions.

The Committee expresses its appreciation for the work and contribution made by the following officers of the Secretariat in collecting important information with regard to this Bill and holding the meetings of the Committee - Shri P.N. Gupta, Secretary; Shri Sudarshan Kumar Sharma, Special Secretary; Shri S.K. Srivastava, Committee Officer; and also other staff members of the Secretariat.

(ALOK KUMAR)

CHAIRMAN

SELECT COMMITTEE ON

DELHI OFFICIAL LANGUAGE BILL

DELHI

JANUARY, 1998

DELHI HIGH COURT (ORIGINAL SIDE) RULES, 1967

RULE 1 - Chapter III Rule 1 of the said RULES requires that every plaint, written statement, application, petition and the like presented to the Court shall be in English.

RULE 5 - No document in a language other than English intended to be used in any proceedings before the Court shall be received by the Registry unless it is accompanied by a translation in English:

i) agreed to by both the parties; or

ii) certifiedto be a true translation -

(a) by a counsel engaged in the case; or

(b) by any other counsel, whether engaged in the case or not provided a counsel engaged in the case authenticates such certificate; or

iii) prepared by an official translator of the court on payment of the prescribed charges; or

iv) prepared by a translator specifically appointed or approved for the purpose by the Registrar on payment of such charges as he may order.

2) A suit or other proceedings will not be set down for hearing until and unless all parties confirm that all the documents filed on which they intend to rely are in English or have been translated into English.

- Similarly, the Rules framed for the presentation, reception, appeal, petition and application for the Review and Revision require that -

> "Every Memorandum of Appeal, and every Application, Written Statement, Affidavit, Annexures to Petition etc. shall be in the English language".

Bill No. _____ of 1998

(S)

THE DELHI OFFICIAL LANGUAGES BILL, 1998

A

BILL

to provide for adoption of Hindi in Devnagri script as th first language and Punjabi in Gurmukhi script as the second language to be used for the official purposes and other matters of the National Capital Territory of Delhi.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows:-

Short title extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Delhi Official Languages Act, 1998.

(2) It extends to the whole of the National Capital Terriitory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

Definitions 2. In this Act unless the context otherwise requires:-

(a) "Act" means the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (No.1 of 1992);

(b) "Delhi" means the National Capital Territory of Delhi;

(c) "Government" means the Government of the National Capital Territory of Delhi;

(d) "Legislative Assembly" means the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.

Hindi to be official language of Delhi

3. Hindi in Devnagri script shall, with effect from such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf, be the official language of Delhi for all purposes except such purposes as are specifically excluded by the Constitution or the Act and in respect of such matters as may be specified by the Government from time to time by notification.

Punjabi to be second official language of Delhi

4. (1) Punjabi in Gurmukhi script shall be the second official language of Delhi for such purposes as may be notified by the Government from time to time.

(2) In particular the Government shall use Punjabi language for the following purposes:-

(a) Receipt and reply of Applications and Memorandums.

(b) Acceptance of written documents in Punjabi by different government offices.

(c) Publication of important statements

and notifications made by the Government.

(d) Release of important government instructions, ordes, reports of public importance.

(e) Publication of important government advertisements in Punjabi newspapers.

(f) Installation of important indications and signboards.

Form of numerals 5. The form of numerals to be used for the official ppurposes of Delhi shall be the international form of Indian numerals.

Languages to be used for Bills, Acts etc. 6. Hindi shall be used in all Bills introduced in, or Acts passed by the Legislative Assembly and subject to the provisions of Section 3 for all orders, rules, regulations and bye-laws issued under any law made by the Legislative Assembly.

Provided, however, that a translation of the above in the English language published under the authority of the Lt. Governor in the Official Gazette shall be deemed to be the authoritative text thereof in the English language.

Power to make rules 7. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may -

(a) prescribe the manner of translation of the authoritative text of Bills, Acts, Orders, Rules, Bye-laws etc. into the English and Punjabi languages.

(b) provide to make rules with respect to ny other matter which is required to be, or may be, prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the Legislative Assembly while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the House agrees in making any modification in the rule or the House agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or anulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With the enactment of the Constitution (Sixty-ninth) Amendment Act and the Government of National Capital Terrtory of Delhi Act, the National Capital Territory of Delhi has been granted a Legislative Assembly of its own. Sub-section (1) of section 34 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act provides that the Legislative Assembly may by law adopt any one or more of the languages in use in the Capital or Hindi as the official language or languages to be used for all or any of the official purposes of the Capital. It is proposed to adopt Hindi as the official language of the National Capital Territory of Delhi by means of a formal enactment as provided under section 34 of the said Act. Besides, a sizeable number of people in Delhi speak Punjabi. After the partition of the Country, Punjabi speaking population of undivided Punjab came to Delhi and it has, now become a predominantly Punjabi speaking region. Punjabi is one of the oldest languages and cultures born in eight/ninth centuries. These people have been loging to have Punjabi as the second official language. Though the Government of Delhi has taken several steps to promote, propagate and develop Punjabi by establishing a Punjabi Cell in the Language Department of the Government and settiing up the Punjabi Academy as an autonomous body, etc. yet their main demand for declaring Punjabi as the second official language of Delhi is still to be fulfilled.

The Bill is intended to seek the aforesaid objectives.

(SAHIB SINGH)
CHIEF MINISTER